न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार शर्मा, RAS.

पत्रावली संख्या : 54/17 (वाद पत्र)

1. श्री देवीलाल पिता प्यारचन्द ब्राहम्ण निवासी हिंता तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

.....वादी

बनाम

1. श्री लालसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत निवासी शक्तावतों का खेड़ा (हिंता) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 08.05.18

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा हिंता पटवार मण्डल हिंता तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर परिशिष्ठ ''क'' के अनुसार आराजी नम्बर 2537 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे वादी व शंकरलाल के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा 1/4 हिस्सा शंकरलाल पिता मोड़ा पूर्बिया के नाम दर्ज है व 1/2 हिस्सा रोड़ीलाल बगदीलाल कतु उर्फ कस्तुरी पिता कजोड़ व हंसाबाई बेवा कजोड़ के नाम दर्ज है । इसी प्रकार परिशिष्ठ ''ख'' के अनुसार आराजी नम्बर 2513 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी व शंकरलाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा रोड़ीलाल बगदीलाल कतु उर्फ कस्तुरी पिता कजोड़ व हंसाबाई बेवा कजोड़ के नाम दर्ज है ।

2. उक्त कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात वादी व वादी के भाई तथा वादी के परिवार के लोगो के नाम स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज होकर वादी व वादी के भाईयों के मध्य इनके मौरूसो के समय ही उक्त आराजियात का आपसी बॅटवारा हिस्से अनुसार होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग हिस्से अनुसार करते चले आ रहे है । कहा कि उक्त वर्णित आराजियात में

प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता है तथा वादी को अपने हिस्से की आराजियात में शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देता है । ईसलिये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है ।

3. अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि वह वादी की आराजियात में जबरदस्ती दखलन्दाजी नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करे । वादी की फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुॅचावें । वादी तथा वादी के परिवारवालों का शांतिपूर्वक काश्त करने देवे ।

4. प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार–2018'' में पेश हुआ । वादी स्वयं उपस्थित है । हमनें प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया । दस्तावेजात का अवलोकन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा हिंता पटवार मण्डल हिंता तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 2537 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी व शंकरलाल के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा 1/4 हिस्सा शंकरलाल पिता मोड़ा पूर्बिया के नाम दर्ज है व 1/2 हिस्सा रोड़ीलाल बगदीलाल कतु उर्फ कस्तुरी पिता कजोड़ व हंसाबाई बेवा कजोड़ के नाम दर्ज है । इसी प्रकार आराजी नम्बर 2513 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी व शंकरलाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा रोड़ीलाल बगदीलाल कतु उर्फ कस्तुरी पिता कजोड़ व हंसाबाई बेवा कजोड़ के नाम दर्ज है । उक्त वर्णित आराजियात वादी व वादी के भाई तथा वादी के परिवार के लोगो के नाम स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज होकर वादी व वादी के भाईयों के मध्य इनके मौरूसो के समय ही उक्त आराजियात का आपसी बॅटवारा हिस्से अनुसार होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उक्त आराजियात का उपयोग उपभाग कर रहे है । उक्त आराजियात में प्रतिवादी को दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकारी है फिर भी वह जोर जबरदस्ती कर अनाधिकृत रूप से वादी की आराजियात में प्रवेश करता है, खेतो में खड़ी फसल को नुकसान पहुॅचाता है । प्रकरण में प्रतिवादी स्वंय उपस्थित भी नही हुआ है नही उसके द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। इस कारण से प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

5. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिकरी किया जाता है तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मौजा हिंता पटवार मण्डल हिंता तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 2537 रकबा 6

बीघा 3 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 2513 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी वादी की आराजीयात में जबरदस्ती प्रवेश नही करे, दखलअंदाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे, वादी की खड़ी फसल को काटे नही वादी तथा वादी के परिवार वालों को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

6. पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

7. निर्णय खुले ईजलास कैम्प कोर्ट ''हिंता'' पर सुनाया गया ।

(अनिल कुमार शर्मा) R.A.S.
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक
वल्लभनगर–जिला उदयपुर